तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अर्थ इतिशियल्य जज	
	निवेदन किया कि विप्रार्थी अधिवक्ता लम्बे समय से जवाब पेश नही कर रहे है,जो जवाब बंद किया जाकर बहस सुनी जावें। विप्रार्थी संख्या 04 अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश करने के लिए 13 माह से अधिक समय लिए जाने के उपरांत भी आदिनांक जवाब पेश नहीं किया गया है और न ही आज उपस्थित हुए है। ऐसी सूरत में विप्रार्थी संख्या 04 का जवाब बन्द किया जाता है। तत्पश्चात प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी/वादी माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद आगे ओर नही बढे। इस कारण स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्वष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद–विवाद हो जाता है,तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीनी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत लगता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्वष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते है। प्रकरण में दोनो पक्षो को पाबंद किया जाना उचित रहेगा। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 31.7.2023 से दोनो पक्षो को मूलवाद के निर्णय तक पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। 11/04/2025 सहायक कलक्टर (S.D.O.) बाड़मेर	